भारत सरकार

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13.02.2020

NCBC/08/01/241-A/2019-KSP

बैठक में उपस्थित अधिकारीः-

1. डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
2. डॉ लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
3. श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
4. डॉ सुधा यादव, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
5. श्री आचार्य थल्लोजु, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
6. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
7. श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
8. श्री बालाजी, उपाध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
9. श्रीमति शर्मिष्ठा प्रधान, सचिव, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
10. श्री ए.के. दत्ता, जी.एस., कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
11. श्री एस.एस. चटर्जी, उप सचिव, ओबीसी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
12. अन्य अधिकारी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों की स्थिति क्या है?

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, पिछले तीन वर्षों में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

Staff Position as on 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018 and 31.03.2019

Category/Level of Post	Total no. of Posts	Number of OBCs	% OBC
31.03.2016			
Class-I	592	24	4.05%
Class-II	204	03	1.47%
Class-III	3229	55	1.70%

Class-IV	1823	41	2.24%
31.03.2017			
Class-I	608	42	6.90%
Class-II	193	4	2.07%
Class-III	2931	57	1.94%
Class-IV	1588	46	2.91%
31.03.2018			
Class-I	615	45	7.31%
Class-II	180	04	2.22%
Class-III	2635	57	2.16%
Class-IV	1337	45	3.36%
31.03.2019			
Class-I	575	43	7.47%
Class-II	172	3	1.74%
Class-III	2333	59	2.52%
Class-IV	1113	42	3.77%

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में ओबीसी के कर्मचारियों का प्रतिशत इतना कम क्यों है?

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में 1995 से रिक्रूटमेंट बंद है। अगर जरूरत होती है तो मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ती है। स्टाफ अब भी सरप्लस है। ये कम फीगर इसलिए है क्योंकि रिक्रूटमेंट ही कम हुआ है। उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैः-

Year	No. of vacancies filled up	No. of OBC candidates appointed
2016	68	17
2017	56	13
2018	04	1
2019	01	-

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, क्लास-I व II में भारत सरकार के नियमानुसार ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है व क्लास – III व IV में राज्य सरकार के नियमानुसार ओबीसी को 22% रिजर्वेशन दिया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- लाईसन ऑफिसर आप क्या करते है?

लाईसन ऑफिसर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, रोस्टर मेन्टेन करते है। ओबीसी की शिकायते सुनते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- अभी तक ओबीसी से संबंधित कितनी शिकायते प्राप्त हुई है?

लाईसन ऑफिसर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, ओबीसी से संबंधित कोई भी शिकायत नही मिली है।

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, हमने कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दियां डॉक काम्पलैक्स में अलग-अलग लाईसन ऑफिसर नियुक्त किये हुए है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या दोनों लाईसन ऑफिसर ओबीसी कैटेगरी से है?

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, एक यू.आर. कैटेगरी से है व एक ओबीसी कैटेगरी से है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या दोनों लाईसन ऑफिसर को ओबीसी की कोई शिकायत मिली है?

लाईसन ऑफिसर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- नही सर, अभी तक कोई शिकायत नही मिली है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या डीपीसी आदि में ओबीसी के सदस्य को शामिल किया जाता है?

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, एस.सी व एस.टी. का रखते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- डीओपीटी के नियम को देखिए, ओबीसी के सदस्य को भी रखा जाना जरूरी है।

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- सर, हम इसको दिखवा लेते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में कोन्ट्रेक्ट पर नियुक्ति की जाती है? यदि हाँ तो क्या उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है?

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- जी सर, सिक्योरिटी सर्विस में एक्स-सर्विसमैन को लेते है बाकी आउटसोर्स के एजेन्सी के द्वारा लिए जाते है। इसलिए इसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नही दिया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- डीओपीटी का रूल है कि अगर कान्ट्रेक्ट में 45 दिन से ज्यादा अवधि के लिए नियुक्ति का जाती है तो उसमें रिजर्वेशन लागू करना अनिवार्य है।

श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः- जी सर, हम डीओपीटी के आर्डर को देख लेते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी से संबंधित भारत सरकार के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

बैठक संपन्न।

(कौशलेन्द्र सिहं पटेल)
सदस्य, रा.पि.व.आ.